

001766/2024/18-1

मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2025

क्रमांक 3110 /2001766/2024/18-1, राज्य शासन एतद्वारा, समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 14.08.2024 में की गई अनुशंसाओं के क्रम में श्री उमाशंकर मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत तृतीय समयमान वेतनमान रूपये 79000-211700 लेवल-14 दिनांक 15.11.2020 से स्वीकृत प्रदान करता है।

2- कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन निर्धारण करने के पूर्व संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में पुष्टि कर ली जावे:-

2.1- यदि किसी अधिकारी को समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि के पूर्व के सेवाकाल में कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाए।

2.2- सुनिश्चित करें कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनांक से विगत पांच वर्षों में कोई दण्ड प्रभावशील तो नहीं रहा है। यदि उक्त अवधि में दण्ड प्रभावशील रहा है तो उनसे संबंधित समयमान वेतनमान का यह स्वीकृति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

2.3- यदि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनांक से विगत पांच वर्षों में कोई विभागीय जाँच आदि चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.4- समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण के समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008, ज्ञाप क्रमांक एफ 11-17/2014/नियम/चार दिनांक 30.09.2014, ज्ञाप क्रमांक एफ 11-7/2020/नियम/चार, दिनांक 24.08.2020 एवं ज्ञाप क्रमांक 177/1516/2020/नियम/चार, दिनांक 02.02.2020 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2.5- इस आदेश द्वारा स्वीकृत यह समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, वित्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
Ramkumar Kartikey
(आदेश के अनुसार)

17-असिचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमशः-----2

-2-

पृ० क्रमांक 371 /2001766/2024/18-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 25 अगस्त, 2025

- 01- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
- 02- स्टाफ आफिसर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
- 03- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
- 04- कलेक्टर, जिला पन्ना (म.प्र.)।
- 05- संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)
- 06- श्री उमाशंकर मिश्रा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पन्ना (म.प्र.)।
- 07- वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर वेब साईट पर प्रदर्शित हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 08- आर्डर बुक

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग